

रोजगार प्रथाएं:

HanesBrands अपने कर्मचारियों के साथ नषिपकष और सम्मानजनक व्यवहार के लिए दृढ़ता पूर्वक परतबिदध है। हम इसी परतबिदधता वाले आपूर्तकिरताओं के साथ व्यवसाय करने में विश्वास रखते हैं। हमें आपूर्तकिरताओं को सभी लागू कानूनों और वनियमों का पालन करने और सभी लोगों के मौलिक मानवाधिकारों का समर्थन करने के लिए कहते हैं।

बाल मजदूरी:

आपूर्तकिरता, देश में, जहां उसके कर्मचारी काम करते हैं, स्कूल जाने की निर्धारित अनिवार्य आयु का उल्लंघन कर या कानूनी रूप से उचित रोजगार आयु के तहत बनाए गए नयियों का उल्लंघन कर व्यक्तियों को नयिजति नहीं करेंगे। इसके अलावा, किसी भी मामले में आपूर्तकिरता 15 साल से कम आयु के शर्मिकों को रोजगार नहीं देगा, वजिजापन या मीडिया के कषेत्र में काम करने वाले बाल कलाकारों और मॉडल्स को छोड़कर, जो लागू बाल शर्म अनिवार्यताओं से सुरक्षित हैं।

कषतपूरतः

आपूर्तकिरता न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम परीमियम, भत्तों और लाभों सहित लागू कषतपूरत कानूनों और वनियमों का पालन करेंगे। आपूर्तकिरता कम से कम कानूनी रूप से आवश्यक मुआवजे या मौजूदा उद्योग मुआवजे का भुगतान करेंगे, जो भी अधिक हो।

HanesBrands यह देखता है कि जो भी काम करें उसे उचित मुआवजे का अधिकार हो।

HanesBrands आगे यह देखता है कि कूल मुआवजा (मजदूरी, प्लस बोनस और वस्तु के रूप में लाभ, ओवरटाइम को छोड़कर) शर्मिकों की बुनयादी जरूरतों को पूरा करने और कुछ विकपूरण आय प्राप्त करने में सकषम होना चाहिए। हम आपूर्तकिरताओं को उचित स्तर का मुआवजा परदान करने के लिए परोत्साहित करते हैं। जहां यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, आपूर्तकिरता हमारे साथ उचित कार्रवाई करने के लिए काम करेंगे जो ताकि मुआवजे का एक सही स्तर तय किया जा सके।

पक्षपात वरिधी:

आपूर्तकिरता किसी व्यक्त की जाति, रंग, लिंग, राष्ट्रीय मूल (या जातीयता), आयु, धर्म, वकिलांगता, यौन अभिविन्यास, लिंग पहचान, वयोवृद्ध स्थिति, वैवाहिक स्थिति और अन्य किसी सुरक्षित गुणों या मान्यताओं के आधार पर भर्ती, मुआवजे, उन्नति, अनुशासन, नषिकासन या सेवानिवृत्ता में भेदभाव नहीं करेंगे। HanesBrands उन आपूर्तकिरताओं का पक्ष लेता है जो सभी को समान अवसर देते हैं।

बंधुआ मजदूरी:

आपूर्तकिरता बंधुआ या अनैच्छिक शर्म का उपयोग नहीं करेंगे चाहे वो बॉन्ड हो, जेल हो या अनुबंधित हो।

संबद्धता और सामूहिक मोलभाव की स्वतंत्रता:

आपूर्तकिरता स्वतंत्रता संगठन के अधिकार का उपयोग करने के कर्मचारियों के अधिकार को मान्यता देंगे और उसका सम्मान करेंगे। इसी प्रकार, आपूर्तकिरता सामूहिक मोलभाव को चुनने या न चुनने के उनके कर्मचारियों के अधिकार को मान्यता देंगे और उसका सम्मान करेंगे।

सुरक्षा और स्वास्थय:

आपूर्तकिरता अपने कर्मचारियों को एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण परदान करेंगे। आपूर्तकिरताओं को असुरक्षित कार्यों और स्थितियों को हटाने के लिए परतबिदध होना चाहिए ताकि उनके कर्मचारियों, ग्राहकों और आम जनता को नुकसान पहुंचने से बचाया जा सके। जहां भी लागू हो, यह आवास और खाने की सुविधाओं पर भी लागू होता है।

कार्यस्थान पर शोषण या दुरव्यवहार:

आपूर्तकिरता कर्मचारियों का शारीरिक, मौखिक, यौन या मनोवैज्ञानिक उत्पीडन नहीं करेंगे, न ही कर्मचारियों में अनुशासन लाने के लिए उन्हें शारीरिक सजा देंगे।

कार्य के घंटे:

आपूर्तकिरता कार्य के घंटों के संबंध में सभी लागू कानूनों और वनियमों का पालन करेंगे। असाधारण परस्थितियों के अलावा, शर्मिकों को कानूनी सीमाओं या ओवरटाइम के 12 घंटों सहित परत सप्ताह 48 घंटों से अधिक, जो भी कम हो, काम नहीं करना चाहिए। आपूर्तकिरताओं को लगातार 6 कार्य दिवसों के बाद कम से कम 24 घंटे आराम करने की अनुमति देनी चाहिए। ओवरटाइम का अनुरोध नयिमति आधार पर नहीं किया जाना चाहिए और ये स्वैच्छिक होना चाहिए।

वातावरण:

HanesBrands ऐसे आपूर्तकिरताओं के साथ व्यवसाय करने में विश्वास करता है जो ध्वनी पर्यावरण प्रबंधन के माध्यम से दुनिया भर के पर्यावरण की गुणवत्ता की सुरक्षा के लिए कंपनी की परतबिदधता साझा करते हैं। आपूर्तकिरता सभी लागू पर्यावरणीय कानूनों और वनियमों का पालन करेंगे और किसी भी गैर-अनुपालन प्रथाओं को सही करने के लिए योजनाओं या कार्यक्रमों को तत्काल वकिसति और कार्यान्विति करेंगे। आपूर्तकिरता अपशषिट को कम करने और अपने परचालन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम और धीमा करने के लिए जरूरी उपायों को अपनाएंगे।

भ्रष्टाचार-वरिधी:

HanesBrands वदिशी भ्रष्ट व्यवहार अधिनियम और यूके ब्राइबरी एक्ट समेत सभी लागू कानूनों का सख्ती से पालन करता है और आपूर्तकिरताओं को भी ऐसा करने के लिए बाध्य करता है। HanesBrands के व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए आपूर्तकिरता रशिवत नहीं देंगे या भ्रष्ट प्रथाओं में शामिल नहीं होंगे। इसमें सरकारी अधिकारियों के कामों या नरिणयों को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थानीय सरकारी अधिकारियों, राजनीतिक दलों, राजनीतिक कार्यालयों के लोगों या व्यक्तियों को परतयक्ष या परोक्ष रूप से, पैसा देना या देने का वादा करना या पैसा या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के भुगतान को अधिकृत करना शामिल है।

